

कार्यालय जिला कलक्टर,(आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा),बालोतरा

Email id: -adm.balotra@rajasthan.gov.in

Contact no. 02988-294610

Address: Collectorate Office Balotra, Kher Road, Balotra. (344022)

कमांक:- प.3000/आ.प्र.सहा/2025/763

दिनांक 15.09.2025

—: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बैठक कार्यवाही विवरण:—

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.08.2025 को प्रातः 11:00 बजे श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

01. मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक निर्माण विभाग की आधारभूत संरचना जैसे सड़क ,पुल का एस.डी.आर.एफ. के तहत प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन :-

उक्त बिन्दू पर अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बालोतरा द्वारा जिले में एस. डी.आर.एफ नोर्स के अनुसार वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए प्रेषित किये गये प्रस्तावों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :-

- परिसम्पति का नाम :- सड़क मरम्मत प्रस्ताव

क्र.सं.	तहसील का नाम	क्षति की दिनांक व वर्षा की मात्रा	प्रस्तावित सड़कों की संख्या	कार्यकारी एजेन्सी	अनुमानित मरम्मत राशि (लाखों में)
1	पाटोदी	19.07.2025 (130 MM) 20.07.2025	47	सा0नि0वि0खण्ड बायतु	119.35
2	पचपदरा	19.07.2025 (102 MM) 20.07.2025	77	सा0नि0वि0खण्ड बालोतरा	207.77
3	कल्याणपुर	14.07.2025 (100 MM) 15.07.2025	42	सा0नि0वि0खण्ड बालोतरा	120.87
कुल योग			166		447.99

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्राप्त प्रस्तावों को एस.डी.आर.एफ. के निर्धारित मापदण्ड अनुसार तत्काल मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने एवं आवश्यक बजट राशि आवंटित करवाये जाने हेतु आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर को भिजवाये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन उपस्थित सदस्यों द्वारा किया गया।

02. मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त समग्र शिक्षा के विद्यालय भवनों का एस. डी.आर.एफ. के तहत प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन :-



उक्त बिन्दू पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) बालोतरा द्वारा जिले में एस.डी.आर.एफ नोर्म्स के अनुसार वर्षा से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की मरम्मत के लिए प्रेषित किये गये प्रस्तावों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :-

• परिसम्पत्ति का नाम :- विद्यालय भवन

क्र.सं.	तहसील का नाम	क्षति की दिनांक व वर्षा की मात्रा	प्रस्तावित कार्यों की संख्या	कार्यकारी एजेन्सी	अनुमानित मरम्मत राशि (लाखों में)
1	पाटोदी	19.07.2025 (130 MM) 20.07.2025	179	संबंधित ग्राम पंचायत	358.00
2	पचपदरा	19.07.2025 (102 MM) 20.07.2025	239	संबंधित ग्राम पंचायत	478.00
3	कल्याणपुर	14.07.2025 (100 MM) 15.07.2025	165	संबंधित ग्राम पंचायत	330.00
कुल योग			583		1166.00

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्राप्त प्रस्तावों को एस.डी.आर.एफ. के निर्धारित मापदण्ड अनुसार तत्काल मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने एवं आवश्यक बजट राशि आवंटित करवाये जाने हेतु आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर को भिजवाये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन उपस्थित सदस्यों द्वारा किया गया।

03. मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त महिला एवं बाल विकास विभाग, बालोतरा की आंगनवाड़ी भवन का एस.डी.आर.एफ. के तहत प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन :-

उक्त बिन्दू पर महिला एवं बाल विकास विभाग, बालोतरा द्वारा जिले में एस.डी.आर.एफ नोर्म्स के अनुसार वर्षा से क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए प्रेषित किये गये प्रस्तावों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :-

• परिसम्पत्ति का नाम :- आंगनवाड़ी भवन

क्र.सं.	तहसील का नाम	क्षति की दिनांक व वर्षा की मात्रा	प्रस्तावित कार्यों की संख्या	कार्यकारी एजेन्सी	अनुमानित मरम्मत राशि (लाखों में)
1	पाटोदी	19.07.2025 (130 MM) 20.07.2025	57	संबंधित ग्राम पंचायत	114.00
2	पचपदरा	19.07.2025 (102 MM) 20.07.2025	45	संबंधित ग्राम पंचायत	90.00
3	कल्याणपुर	14.07.2025 (100 MM) 15.07.2025	32	संबंधित ग्राम पंचायत	64.00
कुल योग			134		268.00

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्राप्त प्रस्तावों को एस.डी.आर.एफ. के निर्धारित मापदण्ड अनुसार तत्काल मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने एवं आवश्यक बजट राशि आवंटित करवाये जाने हेतु आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर को भिजवाये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन उपस्थित सदस्यों द्वारा किया गया।

04. मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बालोतरा की उप स्वास्थ्य केन्द्र , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एस.डी.आर.एफ. के तहत प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन :-

उक्त बिन्दू पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालोतरा द्वारा जिले में एस.डी.आर.एफ नोर्स के अनुसार वर्षा से क्षतिग्रस्त चिकित्सा भवनों की मरम्मत के लिए प्रेषित किये गये प्रस्तावों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :-

- परिसम्पत्ति का नाम :- उप स्वास्थ्य केन्द्र , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मरम्मत प्रस्ताव

क्र.सं.	तहसील का नाम	क्षति की दिनांक व वर्षा की मात्रा	प्रस्तावित कार्य की संख्या	कार्यकारी एजेन्सी	अनुमानित मरम्मत राशि (लाखों में)
1	पाटोदी	19.07.2025 (130 MM) 20.07.2025	12	अधीक्षण अभियंता सा0नि0वि0बालोतरा	21.00
2	पचपदरा	19.07.2025 (130 MM) 20.07.2025	07	अधीक्षण अभियंता सा0नि0वि0बालोतरा	14.00
3	कल्याणपुर	14.07.2025 (100 MM) 15.07.2025	14	अधीक्षण अभियंता सा0नि0वि0बालोतरा	28.00
कुल योग			33		63.00

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्राप्त प्रस्तावों को एस.डी.आर.एफ. के निर्धारित मापदण्ड अनुसार तत्काल मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने एवं आवश्यक बजट राशि आवंटित करवाये जाने हेतु आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर को भिजवाये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन उपस्थित सदस्यों द्वारा किया गया।

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग:-

01. उपखण्ड अधिकारी, सिवाना क्षेत्राधिकार पेयजल परिवहन कार्य:-

संवत् 2080 के दौरान समदड़ी क्षेत्र में समस्या ग्रस्त स्थानों पर मैसर्स सांवलाराम सालूराम दर्जी द्वारा टैंकों द्वारा किये गये पेयजल परिवहन के विपन्न जिसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:-

क्र.सं.	बिल संख्या	बिल अवधि	बिल राशि
01	1 / 15.05.2024	12.04.2024 से 30.04.2024	4,51,153
02	2 / 30.05.2024	01.05.2024 से 15.05.2024	5,37,367
03	3 / 14.06.2024	16.05.2024 से 31.05.2024	5,43,713
04	4 / 28.06.2024	01.06.2024 से 15.06.2024	6,50,767
05	5 / 11.07.2024	16.06.2024 से 30.06.2024	6,99,242
06	6 / 31.07.2024	01.07.2024 से 15.07.2024	33,059
योग			32,12,301.00

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सत्यापन/अनुशंषा उपरांत प्राधिकरण द्वारा उक्त बिलों के भुगतान हेतु आवश्यक बजट राशि आवंटित करवाये जाने हेतु आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर को भिजवाये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन उपस्थित सदस्यों द्वारा किया गया।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड बालोतरा, सिवाना तथा बायतु के अधीन फर्म मैसर्स सुमित कंस्ट्रक्शन कंपनी नागौर और फर्म पवन पुत्र कंस्ट्रक्शन कंपनी नागौर के पेयजल परिवहन के बिलों में अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायत पर श्रीमान् संभागीय आयुक्त जोधपुर के आदेशांक राजकाज रेफरेंस नम्बर 16150790 दिनांक 25.06.2025 द्वारा टीम गठित की गई है। अतः उक्त व अन्य शेष रहे बिलों को भी जांच कर आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

साथ ही उपरोक्त के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा से व्यक्तिगत नुकसान होने पर एस.डी.आर.एफ. नोम्स अनुसार आवेदन अतिशीघ्र तैयार कर इस कार्यालय को ऑनलाईन भिजवाने हेतु संबंधित तहसीलदारगण को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।
बैठक कार्यवाही विवरण का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

(अशोक कुमार)
अति० जिला कलक्टर, बालोतरा

दिनांक 15.09.2025

क्रमांक/सहायता /2025/764-774

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय आ०प्र०स० एवं ना०सु० विभाग, जयपुर।
2. जिला पुलिस अधीक्षक बालोतरा।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बालोतरा।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालोतरा।
5. अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. जिला बालोतरा।
6. अधीक्षण अभियंता जल संसाधन खण्ड बालोतरा।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक/माध्यमिक) बालोतरा।
8. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बालोतरा।
9. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, बालोतरा।
10. कोषाधिकारी, जिला बालोतरा।
11. निजी सहायक, जिला कलक्टर/अति. जिला कलक्टर, बालोतरा।
12. रक्षित पत्रावली।

अति० जिला कलक्टर, बालोतरा



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग वृत्त बालोतरा

Phone No. 02988221500

Email: sephedbalotra@gmail.com

क्रमांक: एस.ई./जनस्वा/बालो/2025-26/249

दिनांक:-17/04/2025

श्रीमान जिला कलक्टर, (आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बालोतरा।

विषय:- संवत् 2080 पेयजल परिवहन के विपत्रों के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ:- आप श्रीमानजी के पत्रांक 155 दिनांक 10.03.2025 एवं अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा अभि विभाग खण्ड सिवाना पत्रांक 57 दिनांक 16.04.2025, सहायक अभियन्ता स्वा अभि विभाग उपखण्ड सिवाना के पत्रांक 115 दिनांक 15.04.2025

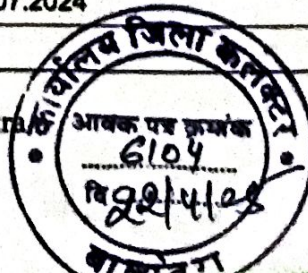
उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि, अभाव संवत् 2080 के दौरान समदडी तहसील के अभाव ग्रस्त गांवों/ ढाणी में मैसर्स सावलाराम सालुराम दर्जी द्वारा किये गये पेयजल परिवहन के विपत्र आप श्रीमानजी के संदर्भित पत्र द्वारा आक्षेपों की पूर्ति हेतु लोटाये जाने पर वृत्त कार्यालय के पत्रांक 4160-62 दिनांक 11.03.2025 द्वारा आक्षेपों/कमियों की पूर्ति हेतु अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा अभि विभाग खण्ड सिवाना को लौटाये जाने की पालना में अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा अभि विभाग खण्ड सिवाना ने अपने संदर्भित पत्र द्वारा विपत्रों की पूर्ण जांच की जाकर संदर्भित पत्र में वर्णित आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार की जाकर विपत्र के भुगतान संबंधित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाये गये है।

आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार है :-

1. कार्यादेश की शर्त संख्या 8 के अनुसार टैंकर चालक जिस निर्धारित शहर/गांव /ढाणी/मोहल्ला में जायेगा उस शहर/गांव /ढाणी /मोहल्ला के दो व्यक्तियों के तथा एक महिला के हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा। इस पैनल के व्यक्तियों के नाम गांवों में ग्राम पंचायत द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित किये जायेगे। उक्त कम में विपत्रों के साथ संलग्न रसीदों की जांच की गई जिसमें पर्चीयों पर अधिकतर पटवारी ग्राम विकास अधिकारी तथा सरपंच के हस्ताक्षर है अगर इनमें से कोई अधिकारी महिला है तो हस्ताक्षर महिला के ही है अन्य पर तीन व्यक्तियों के हस्ताक्षर है।
2. कार्यादेश की शर्त संख्या 16 के अनुसार पेयजल परिवहन में लगे टैंकर पर निःशुल्क पेयजल परिवहन की सूचना टैंकरों के साईड व पीछे के भाग पर लिखवाने संबंधित फोटोग्राफ्स संलग्न है।
3. कार्यालय की शर्त संख्या 17 के अनुसार जल परिवहन कार्य बिल के साथ, जल परिवहन में प्रयुक्त वाहन की, परिवहन विभाग से जारी रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न है।
4. कार्यादेश की शर्त संख्या 9 के अनुसार जल परिहन हेतु मांग के अनुसार ट्रक टैंकर/ट्रैक्टर टैंकर/टैक्सी टैंकर की व्यवस्था ठेकेदार को 12 घण्टे में तथा आपातकालीन परिस्थिति में उससे भी कम समय में करनी होगी, अन्यथा 500/- प्रति घण्टा के हिसाब से शास्ति वसूली जाएगी। उक्त कम में संवदेक से किसी भी प्रकार की वसूली/शास्ति नहीं बनती है इस हेतु अभिशषा की जाती हैं
5. पेयजल परिवहन विपत्रों की पूर्ण तहत जांच व प्रमाणन की कार्यवाही कर विपत्रवार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

वर्णित अनुसार आक्षेपों की पूर्ति कर मैसर्स सावलाराम सालुराम दर्जी द्वारा तहसील समदडी के अभाव ग्रस्त गांवों एवं ढाणी में किये गये पेयजल परिवहन के विपत्र भुगतान संबंधित अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाये जा रहे है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	बिल सं/दिनांक	अवधि	राशि
1.	01/15.05.2024	12.04.2024 से 30.04.2024	451153.00
2.	02/30.05.2024	01.05.2024 से 15.05.2024	537367.00
3.	03/14.06.2024	16.05.2024 से 30.04.2024	543713.00
4.	04/28.06.2024	01.06.2024 से 15.06.2024	650767.00
5.	05/11.07.2024	16.06.2024 से 30.06.2024	699242.00
✓6.	06/31.07.2024	01.07.2024 से 15.07.2024	330059.00
योग:-			3212301.00



संलग्न:- मूल विपत्र एवं दस्तावेज।


(मनोज भुवन)
अधीक्षण अभियन्ता
जन स्वा0अभि0विभाग
वृत्त बालोतरा
दिनांक:-17/04/2025

क्रमांक: सहा./जनस्वा/सिवा/2025-26/249-51

प्रतिलिपी:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

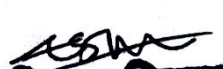
1. अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा अभि विभाग खण्ड सिवाना।
2. सहायक अभियन्ता जन स्वा अभि विभाग उपखण्ड सिवाना।


(मनोज भुवन)
अधीक्षण अभियन्ता
जन स्वा0अभि0विभाग
वृत्त बालोतरा

प्रमाण-पत्र

कार्यादेश संख्या. अधी.अभि/जनस्वा बालोतरा/पेयजल/23-24/938/दिनांक 15.03.2024.के तहत संवेदक मैसर्स सांवलाराम सालुराम दर्जी द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत विपत्रो का निविदा दस्तावेजो व नियमो के अनुसार उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा गठित कमेटी व उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा पूर्णतया जांच कर ली गई है तथा विपत्र के साथ संलग्न जीपीएस रिपोर्ट मे अंकित रसीदवार दूरी का विपत्र मे मिलान कर दिया गया है जो पूर्णतया सही है,उपखण्ड अधिकारी सिवाना जांच रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 6 के अनुसार भारक क्षमता की जांच कर ली गई है जांच के अनुरूप बिलो का प्रमाणीकरण किया गया है। अतः निम्नानुसार विपत्रो का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.सं.	विपत्र सं. व दिनांक	अवधि	राशि
1	01 / 15.05.24	12.04.24 से 30.04.24	451153.00
2	02 / 30.05.24	01.05.24 से 15.05.24	537367.00
3	03 / 14.06.24	16.05.24 से 31.05.24	543713.00
4	05 / 28.06.24	01.06.24 से 15.06.24	650767.00
5	07 / 11.07.24	16.06.24 से 30.06.24	699242.00
6	09 / 31.07.24	01.07.24 से 15.07.24	330059.00
योग			3212301.00


जनस्वा. अभि. विभाग
सिवाना


जनस्वा. अभि. विभाग
उपखण्ड सिवाना
DDO Code : 310838
Office Id : 5756


(ज. एस. राजपुरोहित)
अधिशापी अभियन्ता
जनस्वा. अभि विभाग
खण्ड-सिवाना


(मनेज्मन्ट)
जनस्वा. अभि. विभाग
बालोतरा